10. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रुपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

पात्रता

1 भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये।

2 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी 3 आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।

4 आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।

5 आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हो।

6 आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हों।

7 आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।

देय लाभ :

स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये **5.00 लाख रुपये तक की राशि** ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

आवेदन

आवेदन के किसी भी ई-मित्र अथवा राज्य एस.एस.ओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in के 'SJMS DSAP के माध्यम से आवेदन वाछित दस्तावेजों सहित करना होगा।